न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः 752/2012 (जीसीएमएस 2012/00133)

01. सुबानी पत्नी सुलतान जाति मेव,
02. फत्ती पुत्र सुलतान जाति मेव,
03. फज्जर पुत्र सुलतान जाति मेव,
04. सुब्बी पुत्र सुलतान जाति मेव,
05. इलियास पुत्र सुलतान जाति मेव,
06. कम्मो पुत्र सुलतान जाति मेव,
07. आजाद पुत्र सुफेदा जाति मेव,
08. अब्बास पुत्र सुफेदा जाति मेव,
09. जमील खां पुत्र सुफेदा जाति मेव, निवासी नीकच तहसील रामगढ,
10. दौलत पुत्र मोहर सिंह जाति मेव निवासी नीकच, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान।

---अपीलांट्स

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ़ भूमिधारी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर।

---रेस्पोडेन्ट्

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनॉक 30.08.2010 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 30.08.2010 का है, जिसकी जानकारी होने पर निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया, जिस पर नकल निर्णय दि. 27.09.2010 को उपलब्ध हुई तत्पश्चात् वकील साहब से सलाह मशवरा कर एवं रुपये पैसे का इन्तजाम कर बिना देरी के अन्दर अवधि में यह अपील अदालत श्रीमान् को पेश की जा रही हैं तथा विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि गत आराजी ख.नं. 1532 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1531 रकबा मिन 7 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसके संम्वत् 2020 गत बन्दोबस्त के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कायम हुए, जिसके हाल बन्दोबस्त 2058 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2392 रकबा 0.14 व 2393 रकबा 0.02 ऐयर कायम हुए है, वाके ग्राम नीकच तहसील रामगढ़, जिला अलवर में विद्यमान हैं, जिसमें से एक बीघा आराजी का आवंटन मिन अपीलांट सख्या 01 लगायत 06 के पति/पिता सुलतान व अपीलांट सं. 07 लगायत

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

09 के पिता सुफेदा तथा अपीलांट सं. 10 दौलत पुत्रान मोहरसिंह के पक्ष में करते हुए राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कम मैनेजिंगक ऑफिसर रामगढ़ द्वारा एक सनद पट्टा संख्या 3043 दिनाँक 28.12.1989 को जारी किया गया, तत्पश्चात् कीमत खर्चा अदायगी के बाद सुलतान, सुफेदा, दौलत पुत्रान मोहरसिंह के पक्ष में खातेदारी नामान्तकरण संख्या 1010 दिनाँक 28.04.1990 को तस्दीक किया गया जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड कागजातमाल में इन्द्राज हुआ तथा आवंटी सुलतान व सुफेदा के हम अपीलांट संख्या 01 लगायत. 09 जायज वारिस है यानि सुलतान के वारिस अपीलांट संख्या 01 लगायत. 06 व सुफेदा के वारिस अपीलांट संख्या 07 लगायत. 09 है, आवंटी दौलत अपीलांट 10 स्वयं है। इस प्रकार मौका, कब्जा व वस्तुस्थिति के अनुसार उक्त आराजी के हम अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम पर सही प्रकार से खातेदारी का इन्द्राजत हैं। आराजी खसरा नं. हाल 2393 रकबा 0.02 ऐयर कभी भी रास्ता की भूमि सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की नहीं रही है लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा गलत आधार पर खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, विधि विरुद्ध वस्तुस्थिति के विपरीत तहत अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 आर.टी. एक्ट बउनवानी तहसीलदार रामगढ़ बनाम सुबानी वगैरह दायर कर आराजी खसरा नंम्बर हाल 2393 रकबा 0.02 ऐयर वाके ग्राम नीकच को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड करने की गुहार करते हुए पेश किया गया जिस प्रार्थना पत्र के नम्बर 183 है जिसे अदालत मातहत द्वारा दर्ज रजिस्टर कर हम अपीलांट को जर्ये नोटिस तलब किया गया, लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा हम अपीलांट की तामिल नहीं होने दी बल्कि हम अपीलांट की ओर से किसी अपने पहचान वाले वकील से अण्डरटेकिंग पेश करा दी तहत अदालत द्वारा भी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र बिना हम अपीलांट की वास्तविक तामिल हुए बिना व बिना सुनवाई का मौका दिए ही एकपक्षीय रुप में रेस्पोडेंट के कथनों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट स्वीकार कर दिनाँक 30.08.2010 को आलौच्य निर्णय पारित कर उक्त आराजी खसरा नंम्बर हाल नं. 2393 रकबा 0.02 ऐयर को कागजातमाल से गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदत्त कर दिए गए, जिसकी जानकारी हम अपीलांट को नहीं हो सकी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य के विपरीत खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, विधि विरुद्ध हम अपीलांट की बिना तामिल कराये, बिना सुनवाई का अवसर दिए ही रेस्पोडेंट के कथनों पर ही विश्वास कर आलौच्य निर्णय दिनाँक 30.08.2010 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से हर सूरत में काबिले मंसूख हैं। उन्होने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1532 की किस्म जमाबन्दी सम्वत् 2014 के अनुसार चिकनी अव्वल डहरी मौजूदा अपीलांट के दादा मुहरसिंह पुत्र इमरत मेव पहरेदार साल 5 व खसरा नम्बर 1531 की किस्म चिकनोट अव्वल दर्ज है इसके पश्चात् गत बन्दोबस्त सम्वत् 2020 के अनुसार उक्त गत खसरा नम्बर के

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

हाल खसरा नम्बर 1644 कायम हुआ, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. किला दर्ज किया गया एवं इसके बादकायम जमाबन्दी सम्वत् 2033 में भी उक्त आराजी को गै. मु. किला दर्ज किया हुआ है, जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2058 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.14 व 2393 रकबा 0.02 कायम हुए है, गत खसरा नम्बर 1644 का आवंटन कानूनन मिन अपीलांट 01 लगायत. 06 के पति/पिता सुलतान व अपीलांट 07 ला. 09 के पिता सुफेदा व अपीलांट 10 दौलत पुत्रान मोहरसिंह के नाम हुए राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कम मैनेजिंगक ऑफिसर रामगढ़ द्वारा एक सनद पट्टा संख्या 3043 दिनाँक 28.12.1989 को जारी करते हुए उसका खर्चा अदायगी के बाद खातेदारी नामान्तकरण सं. 1010 दिनाँक 28.04.1990 को तस्दीक किया गया जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड कागजातमाल में इन्द्राज हुआ। सुलतान के जायज कानूनी वारिस अपीलांट 01 ला. 06 व सुफेदा के जायज कानूनी वारिस अपीलांट सं. 07 ला. 09 है, जिनका व अपीलांट का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड कागजातमाल में सही प्रकार से खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी हाल ख.नं. 2393 रकबा ऐयर कभी भी रास्ता की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि नहीं हैं उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान नही रखकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर गौर किया बिना व ना ही दस्तावेजी साक्ष्य रेवेन्यू रिकॉर्ड मौका, कब्जा की, बाबत् वस्तुस्थिति की जानकारी किये बिना, और ना ही कोई माईन्ड एप्लाई किया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपना आदेश पारित किया गया है, जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायहित में तहत अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 30.08.2010 बाबत् प्रा. पत्र धारा 136 आर.टी. एक्त बउनवानी तहसीलदार रामगढ बनाम सुबानी वगैरह प्रा. पत्र संख्या 183 आराजी हाल ख.नं. 2393 रकबा 0.02 ऐयर वाके ग्राम नीकच तहसील रामगढ़ के संदर्भ में है, को निरस्त फरमाये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2050 की प्रमाणित प्रतिलिपि

के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 1644 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा मौके पर सार्वजनिक उपयोग हेतु पुराना तिबारा व प्याऊ बनी हुई है जिसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलान्ट के नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होने से तहसीलदार रामगढ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही साक्ष्य, सबूत के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2010 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2010 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।